Form no 111

फर्द अहकाम

(नियम 133)

अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

– सतनात सिंह बनाम गोगा सिंह आदि

88,188 आर.टी.ए. राजस्व वाद संख्या:– [illegible]......../ 2019

331 27-9-19

हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ
अभिभाषक वादी द्वारा वाद–पत्र पेश किया गया। सरिश्ता रिपोर्ट हो चुकी है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण नोटिस द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 7.11.2019 को पेश हो।	
7-11-19 ... ... का कार्य स्थगन प्रस्ताव/हड़ताल ... अभिभाषकगण उप... नहीं। ... अधिकारी अन्य का... व्यस्त है ... दिनांक 7-2-20 ... पेश हो।	
19-12-19 वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली को पेशी में लिये जाने बाबत निवेदन करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया प्रतिवादीगण की ओर से श्री शिवदत्त पंवार वकील द्वारा वकालतनामा पेश किया शामिल पत्रावली किया गया। उभयपक्ष स्वयं उपस्थित राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया उभयपक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन बाद वादी 88/RTA की हद तक पोषणीय पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (कपिल यादव) सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़	सतनाम सिंह ... (शिवदत्त पंवार)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.01.03 16:53:24 IST
Reason: SelfAttested